(223) (99)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, रीवा कैम्प, संभाग रीवा (म0प्र0)

II/निग0/रीवा/भू.रा./2017/6356 30/-

श्रीमती सत्यवती तिवारी पत्नी राजेन्द्र तिवारी, उम्र 52 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम–नगई, पो0 ढेरा, तहसील मऊगंज, जिला–रीवा (म0प्र0)

———आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

अधि0 श्री ब्रजेन्द्र शुक्ला द्वारा पेश/27.12.17

कलर्क आफ कोर्ट1. राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

<u>बनाम्</u>

रामनरेश पाण्डेय तनय शिवशरण पाण्डेय, उम्र 54 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम–सीतापुर, तहसील मऊगंज, जिला–रीवा (म0प्र0)

2. अजय साकेत तनय नामालुम उम्र 38 वर्ष, पेशा शिक्षक, निवासी ग्राम–सीतापुर, किसान सेवा केन्द्र पेट्रोल / डीजल, तहसील मऊगंज, जिला–रीवा (म0प्र0)

———अनावेदकगण / गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्ध नक्शा तर्मीम आराजी नं. 146 / 1 स्थित ग्राम–सीतापुर, राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर, तहसील मऊगंज जिला–रीवा आदेश दिनांक 09.08.2016, राजस्व निरीक्षक सर्किल सीतापुर.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

: संक्षिप्त–विवरण :

यह कि आराजी नं. 146 / 1 रकवा 38.07 एकड़ स्थित ग्राम–सीतापुर स्थित आराजी जिसके भूमिस्वामी अनावेदक क्र.

(99)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/2017/6356/भू-रा0 जिला रीवा

सत्यपती तिवारी विरूद्ध रामनरेश पाण्डेय

1	2	3
16-1-19 -	1. आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द्र शुक्ला अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त सीतापुर तहसील मऊगंज के प्रकरण क्रमांक [illegible] अपील नं. 154 में पारित आदेश दिनांक 09.08.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	